1/18

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 24 दिनांक 3-10-18

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

विषय :– **माननीय सांसद दरभंगा लोकसभा श्री कीर्ति झा आजाद द्वारा अमर्यादित, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक श्री पुष्पेश कुमार (बि0प्र0से0), भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, दरभंगा–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा ने सूचित (पत्र की छायाप्रति संलग्न) किया है कि दिनांक– 02.10.2018 को आयोजित नशामुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेने हेतु माननीय सांसद से दूरभाष पर अनुरोध करने पर उनके द्वारा कहा गया कि "साले मारेंगे चार जूता। तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझसे बात करने की। मैं 20 वर्ष से एम0पी0 हूँ। जाओं मेरे पी0ए0 से बात करो।"

माननीय सांसद द्वारा अमर्यादित, असंसदीय भाषा का उपयोग करने का संघ विरोध करता है तथा भवदीय से संघ का अनुरोध है कि माननीय सांसद पर नियमानुकुल आवश्यक कार्रवाई की जाय।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त।</u>

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/सचिव, दरंभगा ईकाई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला स्तर पर बैठक कर माननीय सांसद के सभी कार्यक्रम में भाग नहीं लेने के संबंध में निर्णय लिया जाय।

3/x/18

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

प्रतिलिपि :– पुष्पेश कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, दरंभगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

प्रतिलिपि :– संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/x/18

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक............./सी0,

प्रेषक,

पुष्पेश कुमार (बि0प्र0से0),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय प्रशाखा,
दरभंगा

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक............वीं अक्टूबर, 2018

विषय :– माननीय सांसद, दरभंगा द्वारा मोबाईल पर अमर्यादित, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपशब्द बोलने के संबंध में।

महाशय,

भवदीय निदेशानुसार आज दिनांक 01.10.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.10.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा 12:00 बजे दिन में आयोजित होने वाले नशामुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम एवं संकल्प से संबंधित वेबकास्टिंग में डॉ0 अम्बेदकर सभागार, दरभंगा में भाग लेने हेतु जिले के माननीय सांसदों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया। इस क्रम में जब मैंने विभागीय मोबाईल सं0–8544412322 से माननीय सांसद, दरभंगा लोक सभा क्षेत्र श्री कीर्ति झा आजाद से मो0 सं0–9810532780 पर समय 09:22 P.M. में फोन कर उक्त कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने बेवजह असंसदीय, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अपशब्द कहा तथा कहा कि "साले मारेंगे चार जूता। तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझसे बात करने की। मैं 20 वर्ष से एम0पी0 हूँ। जाओ मेरे पी0ए0 से बात करो।" उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया उक्त शब्द एक लोक सेवक तथा माननीय सांसद के आचरण के प्रतिकूल है तथा उनके द्वारा कर्त्तव्यनिष्ठ सरकारी पदाधिकारी के गरिमा का हनन किया गया है। उनके इस कृत्य से मेरे आत्म सम्मान को गहरी ठेस पहुँची है तथा सभ्य समाज में एक व्यक्ति के नाते मेरे मानवाधिकार का हनन हुआ है। उनके उक्त आचरण से मेरा अंतर्मन मर्माहत है तथा इससे मेरे कर्त्तव्यनिष्ठा एवं कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा कार्य निष्पादन के प्रति मनोबल टूट सकता है।

अतः अनुरोध है कि माननीय सांसद, दरभंगा श्री कीर्ति झा आजाद के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को स्वयं के स्तर से प्रतिवेदित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0–

पुष्पेश कुमार (बि0प्र0से0),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय प्रशाखा,
दरभंगा।

ज्ञापांक 3491/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 01 वीं अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय लोक सभा अध्यक्ष, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, दरभंगा ईकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.10.18

पुष्पेश कुमार (बि0प्र0से0),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय प्रशाखा,
दरभंगा।